दि. 28/1/99

सेवामें,

मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषय : राज्यप्रशासन की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु कुछ सुझाव

मान्यवर,

राज्य सरकार की वित्तीय हालत से सभी व्यक्ति भलीभाँति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कुछ नये स्त्रोत ढूँढे जाएं जो वित्तीय आय में वृद्धि कर सकें या प्रशासनिक अपव्यय पर नियंत्रण कर सकें । कुछ विचारणीय बिन्दु निम्नांकित हैं –

1. राज्य सरकार के कॉलेजों, स्कूलों तथा अन्य भवनों पर साबुन, तेल, पासबुक, पंखे तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन निजी उपक्रमों द्वारा पोते हुए या टँगे हुए मिलते हैं । इससे इन भवनों की सुन्दरता तो समाप्त होती ही है साथ में सफाई कार्य पर भी व्यय बढ़ता है । अतः या तो सरकारी भवनों पर विज्ञापन पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाएं या फिर विज्ञापनदाता से शुल्क लिया जाए ।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक मार्ग हैं । इस सम्बन्ध में मेरा विस्तृत लेख भारत सरकार की मासिक पत्रिका योजना के अक्टूबर 1996 अंक में वर्णित है । इसकी प्रति 15/1/97 को मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव तथा सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में पुत्र विवाह तथा पुत्र जन्म के अवसर पर वधू पक्ष की ओर से आने वाले प्रतिपरिवार नेग या भेंट को घर-घर न बाँट कर पंचायत में जमा कराये एक गाँव में प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये एकत्र हो सकते हैं । इस प्रकार की परम्परा बहरोड़ क्षेत्र में सफलतापूर्वक चल रही है । इसे सम्पूर्ण राज्य में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए ताकि स्कूल भवन इत्यादि कार्य जनसहभागिता द्वारा निर्मित हो जाएं ।
4. राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग के द्वारा रोजाना लाखों पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचनार्थ प्रेषित होते हैं तथा एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 10 लाख रुपये स्टेशनरी तथा डाक पर व्यय होते हैं । इसके अतिरिक्त सैकड़ों निविदाएं

मुख्य सरकारी विभागों द्वारा समाचारपत्रों में छपवायी जाती है । इससे तो कहीं अच्छा है कि सरकार प्रतिदिन एक सरकारी समाचार पत्र प्रकाशित करे जिसमें समस्त निविदा सूचना भर्ती सूचना, जनहित सूचना तथा कार्यालयी परिपत्र प्रकाशित करे । प्रत्येक कार्यालय दैनिक समाचार पत्रों के स्थान पर सरकारी समाचार पत्र को क्रय करेगा साथ ही जनता भी भारी मात्रा में खरीदेगी । इसके कई लाभ होंगे, जैसे सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, जनजागरूकता तथा सूचनाओं का शीघ्र प्रेषण ।

5. प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जनहित कार्य की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। उस अवधि में यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है तो सम्बन्धित कार्मिक पर आर्थिक दण्ड आरोपित किया जाए । इससे समय पर कार्य भी होंगे तथा सरकारी खर्च भी घट जाएगा ।

6. किसी भी मुकदमें में जहाँ राज्य सरकार एक पार्टी है, में यदि सरकार की हार होती है तो सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित किया जाए । इस नीति के अभाव में नाहक ही सरकारी धन का नौकरशाही दुरुपयोग करती है ।

7. जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रतिव्यक्ति कर लगा देना चाहिए ।

आशा है आप सुझावों पर गौर करेंगे । नौकरशाही बेशक ये सुझाव ठुकरा दे किन्तु एक न एक दिन लागू अवश्य हो सकेंगे ।

सादर

भवदीय

S. Katariya

(डॉ. सुरेन्द्र कटारिया)
पोस्ट बॉक्स नं. 20
सीकर - 332001 राज.

प्रतिलिपि

(1) श्री चन्दनमल बैद, वित्तमंत्री